(ग) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान किसी अधिकारी को शिकायतों का समाधान करने में असफल रहने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है और सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

1. मंत्रालय में संयुक्त सचिव (सी पी वी) और मुख्य पासपोर्ट अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन एक लोक शिकायत कक्ष की स्थापना की गई है। इस सैल में समस्त भारत में पासपोर्ट जारी करने से सम्बद्ध शिकायतों की निगरानी के लिए दो जन सम्पर्क अधिकारियों को भी तैनात किया गया है। पत्रों और फैक्सों के रूप में भी शिकायतें प्राप्त होती हैं और उस पर उपयुक्त कार्यवाई की जाती है। चूककर्ता अधिकारियों से स्पष्टीकरण भी मांगा जाता है। संयुक्त सचिव (लोक शिकायत) के कार्यालय में प्राप्त प्रत्येक शिकायत याचिका को भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा दिए गए संशोधित प्रारूप के अनुसार निपटाया जाता है।

2. सभी पासपोर्ट अधिकारियों को अनुदेश जारी किए गए हैं कि एक तालाबंद शिकायत पेटी स्वागत कक्ष में रखी जाए और उसे प्रत्येक दिवस की समाप्ति पर खोला जाए।

3. प्रत्येक पासपोर्ट अधिकारी को यह अनुदेश दिए गए हैं कि वे राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों और अन्य स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों के स्थानीय संस्करण शिकायती कालमों पर नियमित रूप से नजर रखें और उन शिकायतों पर शीघ्र कार्रवाई शुरू करें।

4. इस बात के स्पष्ट अनुदेश दिए गए हैं कि प्रत्येक पासपोर्ट अधिकारी की पहुंच लोगों तक बनी रहनी चाहिए विशेष तौर पर तब, जबकि कोई आवेदक एक से अधिक बार पासपोर्ट कार्यालय का चक्कर लगा चुका हो और उसे कोई संतोषजनक उत्तर न मिला हो।

5. बंगलौर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई में टेली-इंक्वायरी प्रणाली आरंभ हो गई है जिससे कि आवेदन टेलिफोन करके अपने आवेदन-पत्रों की स्थिति के बारे में कप्यूटरीकृत उत्तर प्राप्त कर सकते हैं।

6. पासपोर्ट जारी करने के लिए क्रियाविधियों और अपेक्षाओं के विवरण दर्शाने वाली एक सूचना पुस्तिका, तैयार की गई है और यह प्रत्येक पासपोर्ट कार्यालय में निःशुल्क उपलब्ध है।

(ग) ऊपर उल्लिखित उपायों के अलावा कर्मचारियों को अधिक जिम्मेदार और जबावदेह बनाने के लिए कार्रवाई की गई है। पासपोर्ट कार्यालयों का निरीक्षण किया जाता है और जहां कहीं शिकायत प्राप्त होती है वहां अधिकारियों को स्पष्टीकरण के लिए बुलाया जाता है।

Development of long range missiles jointly by Russia, China and Iran

165. SHRI LAKKHIRAM AGARWAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state: (a) whether Government's attention has been drawn to the newsitem "Russia, China working closely with Iran", which appeared in the Hindustan Times, dated 11th September, 1997;

(b) if so, whether it is a fact that Russia and China are working closely with Iran in building long-range nuclear missiles; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SALIM IQBAL SHERWANI): (a) Yes Sir.

(b) and (c) The news report is based on a "Isreaeli intelligence report". During the recent visit of the Chinese President Jiang Zemn to the USA, China gave an undertaking to withhold all further nuclear cooperation with Iran. On 9 July, 1997, a spokesman of the Russia Foreign Ministry stated that Russia did not supply any ballistic missile related components to Iran and denied having any cooperation with Iran in the missile sphere which would be in contradiction to the provisions of the Missile Technology Control Regime (MTCR). These developments are monitored regularly by the Government.

US High Tech for Space War

166. SHRI LAKKHIRAM AGARWAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state: (a) whether Government's attention has been drawn to the newsitem "US going high tech for space war" which appeared in The Hindustan Times, dated 3rd September, 1997;

(b) if so, whether it is a fact that United States is getting ready for a real space war shooting down enemy satellites in space before they take pictures or rain down missiles in war;

(c) if so, the details thereof; and